



# कार्यालय कलेक्टर जिला धार (म. प्र.)

(Off) 07292-234702, (Resi) 07292-234701, (Fax) 07292-234711

Email - dmdhar@mp.nic.in

धार, दि. 6/7/17

क्र. 1000/आ.म.।

## // अल्प अवधि निविदा //

मानसून वर्ष 2017-2018 बाढ़ अतिवृष्टि से निपटने के लिये राहत आयुक्त म.प्र. शासन भोपाल से दिनांक 01.04.2017 से 23.06.2017 की अवधि में मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनोत्तर 80-सामान्य 102 निवास वाले क्षेत्र में आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन (6436) बाढ़ बचाव सामग्री क्रय/मरम्मत 51 अन्य प्रभार के अंतर्गत राशि रुपये 5.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। निम्नांकित सामग्री क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| क्रमांक | सामग्री का नाम                  | नग |
|---------|---------------------------------|----|
| 1       | ब्लोअर                          | 04 |
| 2       | फुट पंप                         | 04 |
| 3       | बिलाई (3 से 5 कि.ग्रा. की)      | 04 |
| 4       | बोट हेतु पेट्रोल टैंक 50 ली. के | 04 |
| 5       | स्नेक कैचर (सांप पकड़ने के लिए) | 10 |
| 6       | मैगा फोन वायरलेस                | 02 |
| 7       | लाईफ जैकेट                      | 50 |
| 8       | फायर एक्सटींग्यूअर ABC टाईप     | 36 |

### सामग्री क्रय से संबंधित सामान्य शर्तें :-

- कलेक्टर कार्यालय में निविदा जमा दिनांक 10/07/2017 से 17/07/2017 दोपहर 5:00 बजे तक।
- निविदा दिनांक 18/07/2017 को सायं 12:00 बजे तक समिति के समक्ष खोली जावेगी।
1. निविदाकार को अर्नेस्टमनी के रूप में किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से जारी रुपये 10000/- का डिमांड ड्राफ्टजाक कलेक्टर धार के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाकार का टीन न. एवं पेनकार्ड न. होना अनिवार्य है।
3. निविदाकार की स्थापना फर्म का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
4. निविदाकार द्वारा जिस दर से निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा की उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित है।
5. निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
6. कलेक्टर धार को यह अधिकार होगा की गुण दोष के आधार बिना कोई कारण बतावे निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।
7. निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदाकार की यह जवाबदारी होगी कि उक्त कार्य समय सीमा में पूर्ण करे किसी भी तरह विलंब एवं रुकावट के लिये कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये जिला कार्यालय धार में राहत शाखा/राजस्व गणक शाखा प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

(श्रीमन शुक्ल)  
कलेक्टर  
जिला धार(म.प्र.)